अ 5/024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी पैरोकार सरकार उपस्थित। मूल प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 177 स्वीकार किया जा चुका है। जिससे उक्त T.I प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। लिहाजा उक्त T.I. प्रा. पत्र का कोई औचित्य नहीं होने से प्रकरण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर हो।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली